अंराई

अपील रिमां०3
09/7/2021

अरांई

146/21/225

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामस्वरूप व अन्य बनाम गणपत वगैरह

तारीख पेशी	146/2021 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री रामदेव गुर्जर, अधि0 श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
9.7.2021	यह अपील विद्वान अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने उपखण्ड अधिकारी, अराई के आदेश/निर्णय दिनांक 8.7.2021 प्रकरण संख्या 43/2021 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश की गई । अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई । अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन भी पेश किया गया है । अतः दर्ज रजिस्टर की जावे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस व प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह–खातेदारी की आराजी ग्राम मण्डावरिया तहसील अंराई में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 41 के वर्तमान खसरा नंबर 127 रकबा 0.0405 है0, खसरा नंबर 128 रकबा 0.0405 है0, खसरा नंबर 129 रकबा 1.8850 है0, खसरा नंबर 182 रकबा 0.0809 है0, खसरा नंबर 185 रकबा 0.0081 है0, खसरा नंबर 32 रकबा 0.3155 है0, खसरा नंबर 33 रकबा 1.6423 है0, खसरा नंबर 35 रकबा 0.2912 है0, खसरा नंबर 36 रकबा 0.3641 है0, खसरा नंबर 39 रबा 0.6715 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.3396 है0 भूमि है जिसमें अपीलांट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, अपीलांट संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पो0 2 का 1/4 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इंद्राज है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है । विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है । जब तक आराजियात का विधिक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर हक, हिस्सा, स्वत्व निहित है एवं कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहा है । अपीलांटस का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें रेस्पो0 को अपीलांटस के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट व्यवधान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है । इसके बावजूद रेस्पो0 द्वारा अवैधानिक रूप से अपीलांटस को मौके से बेदखल कर अपीलाटस के हिस्से की आराजी पर अतिचार, अतिक्रमण कर उपरोक्त आराजियात को अन्य दीगर व्यक्तियों को बिना विधिक बंटवारे के बेचान करने पर आमादा है । इस कारण रेस्पो0 को पाबंद किया जावे कि वे उपरोक्त वर्णित आराजी में अपीलांटस के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे, अपीलांटस के हिस्से की आराजी पर अतिचार, अतिक्रमण नहीं करे एवं ताफैसला मूल अपील मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2014 (1) राज0 पेज 35 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित कर कथन किया कि धारा 212 के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश चाहे अंतिम हो या अंतरिम, अधिनियम धारा 212 के अंतर्गत अपील योग्य है । हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन	लगातार

अपील: रामस्वरूप वगै. बनाम गणपत वगै.

146/2021/225 श्री रामदेव गुर्जर ए.

किया एवं अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.7.2021 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर वकील प्रार्थीगण को सुनकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किये है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण इसी स्तर पर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को 30 दिवस में निर्णित करे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

आदेश आज दिनांक 9.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । 9.

9/7/2021

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर